तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो ... की तामील में जारी ...
29/4/24	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी ने पत्रावली में संलग्न तहसीलदार देवली से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन कर बहस की प्रार्थना की, जिसे स्वीकार किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की। पेरोकार सरकार ने रिपोर्ट को ही बहस मानने की प्रार्थना की। पत्रावली व तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2075–78 वाके ग्राम सेन्दियावास में विवादित आराजी में प्रार्थी खातेदार नहीं है बल्कि भूमि माफी दरगाह पीर जी की खातेदारी में दर्ज है तथा उक्त भूमि पर अन्य खातेदार का कब्जा काश्त है। अतः उक्त विवादित भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि नहीं होने, विवादित भूमि शाश्वत माफी दरगाह पीर जी की खातेदारी भूमि है, जिस पर प्रार्थी पत्थरगढी करवाने की हैसियत नहीं रखता है। अतः प्रार्थी का कब्जाकाश्त नहीं होने व पत्थरगढी करवाने हेतु उक्त विवादित भूमि पर जिनका कब्जाकाश्त है, उनको पक्षकार नहीं बनाये जाने व विवादित भूमि शाश्वत माफी दरगाह पीर जी की खातेदारी होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट के प्रावधानो में नही आने के कारण यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।	ख.न. 316/1.82, 317/0.16, 318/0.01 व 320/0.34 कुल 4 रकबा 1.53 है०